अनुदान संख्या 17 – उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 17–DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	210,03,00		216,80,00	165,86,86	–50,93,14
पूरक	Supplementary	6,77,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					41,48,19
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			20,97,00	3,52,10	–17,44,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					13,50,36

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (5093.14 लाख रु.) अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 677.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.5093.14 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.677.00 lakhs obtained in August, 2006 and constituted 23 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	918.00	852.49	811.60	–40.89
पु.	R.	–65.51			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1437.00			
पू.	S.	99.00	8.00	7.33	–0.67
पु.	R.	–1528.00			
मुख्य शीर्ष ''3425'' अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Major Head "3425" Other Scientific Research				
मू.	O.	1753.00	1652.22	1599.11	–53.11
पु.	R.	–100.78			
मुख्य शीर्ष ''3456'' सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies				
मू.	O.	11770.00	8448.39	7552.03	–896.36
पु.	R.	–3321.61			
मुख्य शीर्ष ''3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	895.00	659.48	629.11	–30.37
पु.	R.	–235.52			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	3740.00			
पू.	S.	518.00	5831.23	5907.68	+76.45
पु.	R.	1573.23			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र. की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	400.00			
पू.	S.	60.00	80.00	80.00	. .
पु.	R.	–380.00			

(I) 2011.00 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1710.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''सिविल पूर्ति'' -

(क) ''निदेशन तथा प्रशासन उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ'' - 750.00 लाख रु;

(ख) ''उपभोक्ता संरक्षण पर एकीक त परियोजना'' - 460.00 लाख रु.; और

(ग) ''अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - माप और तौल अवसंरचना का सुद ढ़ीकरण'' - 100.00 लाख रु. (99.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) थे।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीमें - उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरणों का सुद ढ़ीकरण'' - 400.00 लाख रु. व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.2011.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.1710.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Civil Supplies" -

(a) "Direction and Administration Consumer Protection Cell" - Rs.750.00 lakhs;

(b) "Integrated Project on Consumer Protection" - Rs.460.00 lakhs; and

(c) "Other General Economic Services - Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" - Rs.100.00 lakhs (including supplementary of Rs.99.00 lakhs).

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3602" - "Grants for Central Plan Schemes -Civil Supplies - Civil Supply Schemes – Strengthening of Consumer Disputes Redressal Agencies" - Rs.400.00 lakhs – due to non-receipt of viable proposals.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - उपभोक्ता मामले विभाग'' के अंतर्गत 106.40 लाख रु. की बचत (918.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने तथा किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - प्रादेशिक संदर्भ मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी'' के अंतर्गत 208.67 लाख रु. की बचत (216.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3425'' - ''अन्य - राष्ट्रीय परीक्षण गृह - नमूना परीक्षण केंद्र'' के अंतर्गत 153.89 लाख रु. की बचत (1753.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3456'' - ''निदेशन तथा प्रशासन'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ'' - 1120.09 लाख रु. की बचत (8063.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का विकेंद्रीकरण किए जाने की वजह से निधीयन की पद्धति में परिवर्तन किए जाने और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत परियोजनाएं'' - 2905.99 लाख रु. की बचत (3300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, सरकारी लेखों में बीज धन प्राप्त न होने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''बाजारों का विनियमन'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''वायदा बाजार आयोग'' - 126.62 लाख रु. की बचत (448.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Consumer Affairs" - saving of Rs.106.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.918.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head "2552" – "Other General Economics Services – Regional Reference Standard Laboratory, Guwahati" – saving of Rs.208.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.216.00 lakhs) was due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(IV) Under Major Head "3425" – "Others – National Test Houses – Sample Testing Centre" – saving of Rs.153.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1753.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(V) Under Major Head "3456" – "Direction and Administration" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Consumers Protection Cell" – saving of Rs.1120.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8063.70 lakhs) was due to change in funding pattern owing to decentralisation of the scheme and non-utilisation of funds by the Ministry of Information and Broadcasting.

(B) "Projects under Consumer Welfare Fund" – saving of Rs.2905.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, non-receipt of seed money in the Government Accounts and economy measures.

(VI) Under Major Head "3475" – "Regulation of Markets" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Forward Markets Commission" – saving of Rs.126.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.448.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(खा) ''वायदा बाजार आयोग का सुद ढ़ीकरण'' - 136.17 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) करार को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से आयोग को किराए पर लिए गए भवन में स्थानांतरित न किए जाने और अनुवीक्षण और निगरानी सॉफ्टवेयर के संस्थापन में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Strengthening of Forward Markets Commission"– saving of Rs.136.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-shifting of the commission in rented building owing to non-finalisation of the agreement and delay in installation of monitoring and surveillance software.

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" – under the following heads:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीम - उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम को अनुदान'' - 277.55 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) स्कीम का विकेंद्रीकरण किए जाने की वजह से निधीयन पद्धति में परिवर्तन किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Non-Plan Grants - Civil Supplies - Civil Supplies Scheme - Grants for Consumer Welfare Programme" - excess of Rs.277.55 lakhs (against nil provision) was due to change in funding pattern owing to decentralisation of the scheme.

(खा) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति'' -

(B) "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies" -

(क) ''उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरणों का सुद ढ़ीकरण'' - 292.13 लाख रु. का अधिक व्यय (3740.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(a) "Strengthening of Consumer Disputes Redressal Agencies" - excess of Rs.292.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3740.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) ''उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम'' - 980.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) स्कीम का विकेंद्रीकरण किए जाने की वजह से निधीयन पद्धति में परिवर्तन किए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्रा तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Consumer Awareness Programme" - excess of Rs.980.00 lakhs (against nil provision) was due to change in funding pattern owing to decentralisation of the scheme and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीक त प्रावधान का 19 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 19 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''5475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	1239.00	346.00	24.97	–321.03
पु.	R.	–893.00			
मुख्य शीर्ष ''7475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	Major Head "7475" Loans for other General Economic Services				
मू.	O.	500.00	225.44	235.44	+10.00
पु.	R.	–274.56			

(I) 1368.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1214.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''5475'' - ''सिविल पूर्ति''के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग'' - 315.00 लाख रु. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा दिल्ली राज्य कला आयुक्त से विलंब से स्वीक ति प्राप्त होने की वजह से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना परिसर में आयोग के भवन का निर्माण कार्य निष्पादित न किए जाने के कारण थे।

(खा) ''माप तौल अवसंरचना का सुद ढ़ीकरण'' - 899.00 लाख रु. पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा निविदा की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.1368.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.1214.00 lakhs accounted for under Major Head "5475" - "Civil Supplies" - under the following heads:-

(A) "National Consumer Dispute Redressal Commission" – Rs.315.00 lakhs - due to non-execution of work of building for the Commission at Indian National Army Complex (INA) by the Ministry of Urban Development owing to late receipt of clearance from the Ministry of Environment and Delhi State Art Commissioner.

(B) "Strengthening of Weight Measures Infrastructure" - Rs.899.00 lakhs – due to delay in finalisation of tendering process by Directorate General of Supplies and Disposals.

(II) मुख्य शीर्ष ''7475'' - ''सिविल पूर्ति - शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी बैंकों को कर्ज'' के अंतर्गत 264.56 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्चतम न्यायालय के अधिमत में विलंब होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 79.80 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 67 प्रतिशत थी।

(II) Under Major Head "7475" – "Civil Supplies – Loans to Consumer Co-operative in Urban Areas" – saving of Rs.264.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to delay in Supreme Court Verdict.

(III) Under one head saving of Rs.79.80 lakhs occurred constituting 67 percent of the sanctioned provision.